न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

धारा-212

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण संख्या - 72/17, उनवान - खमरवमल वि/s रेखा बाई	
.11.18	पत्रावली पेश हुयी।	

हमने पत्रावली का अवलोकन कर संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। बहस योग्य अधिवक्तागण उभय पक्षकारान पर गौर किया। दौराने बहस योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित को दोहराते हुये निवेदन किया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः अंतरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब-प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रकरण का निस्तारण मौका रिपोर्ट एवं गुणावगुण के आधार पर करने का निवेदन किया।

संलग्न दस्तावेज जमाबंदी 2068-71 पटवार हल्का सेमरड़ा के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख॰ नं॰ 259/1078 का सहमति से बंटवारा होकर नामान्तरण संख्या 620/22-9-11 के अनुसार श्री रोडीलाल पिता धीसा लाल मीणा को पूर्व में 259/1078 रकबा 0.11 है तथा रेखा पत्नी रोडीलाल को पश्चिम में 259/1078/1199 रकबा 0.12 है. है दर्ज की गयी।

मौका रिपोर्ट में व नक्शा ट्रेस में उक्त बंटवारे की तरमीम का अंकन भी नही है। इस स्थिति यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि उक्त खसरा लगातार

पी॰ उपखण्ड अधिकारी छोटी सादड़ी

Scanned by CamScanner

नम्बरान की सीमा कहाँ तक है। साथ ही प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मूल पेश किया अथवा नहीं।

अतः न्यायालय के सुविचारित मत में प्रकरण में तथ्य / दस्तावेज सुसंगत नहीं होने से गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

[signature] 1/11/18

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

Scanned by CamScanner